



उत्तर प्रदेश पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लिमिटेड
(उ०प्र० सरकार का उपक्रम)
U.P. POWER TRANSMISSION CORPORATION LIMITED
(Govt. of Uttar Pradesh Undertaking)
शक्ति भवन, 14 अशोक मार्ग, लखनऊ।

संख्या: 624-पारे०अनु०-०४/पाट्राकालि-2023-18/14 टी०सी०-।

दिनांक: 15 सितम्बर, 2023

कार्यालय ज्ञाप

वित्त (सामान्य) अनुभाग-2, उ०प्र० शासन के शासनादेश संख्या : 2/2023/जी-2-256(1)/दस-2023, दिनांक 21 मार्च, 2023 द्वारा सामान्य भविष्य निधि में किसी भी अभिदाता द्वारा एक वित्तीय वर्ष में अवशेषों के जमा सहित अधिकतम रूपये 05 लाख का अभिदान किये जाने के सम्बन्ध में तत्सम्बन्धी प्राविधान/व्यवस्था निर्गत किये गये हैं। उ०प्र० शासन के उक्त शासनादेश द्वारा निर्गत प्राविधान/व्यवस्था को उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि० के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1226-पै०एवंआर०-28/पाकालि/23-07-पै०एवंआर०/2023, दिनांक 20.07.2023 के माध्यम से उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि० एवं इसकी सहयोगी वितरण कम्पनियों की सेवाओं में यथावत्/सम्पूर्णता में अंगीकृत किये जाने सम्बन्धी आदेश निर्गत किये गये हैं।

2. उत्तर प्रदेश पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लिमिटेड के निदेशक मण्डल की दिनांक 25.08.2023 को सम्पन्न 92वीं बैठक में निदेशक मण्डल द्वारा शासनादेश संख्या : 2/2023/जी-2-256(1)/दस-2023, दिनांक 21 मार्च, 2023 की अनुरूपता में निर्गत उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि० के आदेश संख्या-1226-पै०एवंआर०-28/पाकालि/23-07-पै०एवंआर०/2023, दिनांक 20.07.2023 को उ०प्र० पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लि० में अंगीकृत किये जाने का निर्णय लिया गया है।

3. तदनुसार उत्तर प्रदेश पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लिमिटेड की सेवाओं में उपरोक्त शासनादेश में प्राविधानित तत्सम्बन्धी प्राविधान/दिशा-निर्देश के अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।

निदेशक मण्डल की आज्ञा से,

संख्या- 624(i)-पारे०अनु०-०४/उ०प्र०पा०ट्रा०का०लि०/2023 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1- अध्यक्ष, उ०प्र० पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लि०, लखनऊ के प्रमुख निजी सचिव।
- 2- प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ के निजी सचिव।
- 3- निदेशक (का०प्रब० एवं प्रशा०), उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन (मु०), लखनऊ के निजी सचिव।
- 4- समस्त निदेशकगण, उ०प्र० पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ के निजी सचिव।
- 5- अध्यक्ष, विद्युत सेवा आयोग, एसएलडीसी परिसर, निकट मंत्री आवास, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
- 6- समस्त मुख्य अभियन्ता (स्तर-1 एवं स्तर-2), उ०प्र० पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लि०।
- 7- संयुक्त सचिव (पारेषण-प्रथम), उ०प्र० पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
- 8- समस्त महाप्रबन्धक/उप महाप्रबन्धक, उ०प्र० पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
- 9- समस्त अधीक्षण अभियन्ता, उ०प्र० पावर ट्रांसमिशन पावर कारपोरेशन लि०।
- 10- उप सचिव (पारेषण-प्रथम/द्वितीय), उ०प्र० पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
- 11- समस्त अधिशासी अभियन्ता, उ०प्र० पावर ट्रांसमिशन पावर कारपोरेशन लि०।
- 12- सचिव, उ०प्र० राज्य ऊर्जा कर्मिक न्यास, शक्ति भवन, लखनऊ।
- 13- कम्पनी सचिव, उ०प्र० पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लि०, लखनऊ को दिनांक 25.08.2023 को सम्पन्न 92वीं बैठक के मद संख्या-92(34) के सन्दर्भ में।
- 14- अधिशासी अभियन्ता सम्बद्ध निदेशक (ऑपरेशन), उ०प्र० पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ को इस आशय के साथ प्रेषित कि वह इस आदेश को कारपोरेशन की वेबसाइट www.upptcl.org पर शीर्ष प्राथमिकता पर अपलोड कराने का कष्ट करें।

आज्ञा से,
Satyarth

(सत्यार्थ गंगवार)

उप सचिव (पारेषण-तृतीय)

संख्या-2/2023/जी-2-256(1)/दस-2023

प्रेषक,

प्रशान्त त्रिवेदी,
अपर मुख्य सचिव,
उ०प्र०शासन।

सेवा में

समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

वित्त (सामान्य) अनुभाग-2

लखनऊ : दिनांक 21 मार्च, 2023

विषय:- सामान्य भविष्य निधि में किसी भी अभिदाता द्वारा एक वित्तीय वर्ष में अवशेषों के जमा सहित अधिकतम रू० 05 लाख का अभिदान किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उप महालेखाकार/फण्ड कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)-प्रथम उत्तर प्रदेश, प्रयागराज द्वारा अपने पत्र संख्या-फण्ड-1/टी० एण्ड एन०टी०/79568, दिनांक 19 दिसम्बर, 2022 के माध्यम से यह तथ्य संज्ञान में लाते हुए कि भारत सरकार, कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय, पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग, नई दिल्ली द्वारा आयकर नियमावली, 1962 के नियम 9D(2)(c)(i) के प्राविधान को ध्यान में रखते हुए केन्द्रीय कर्मचारियों के भविष्य निधि खाते में एक वित्तीय वर्ष में अवशेषों की जमा सहित वार्षिक अभिदान की सीमा अधिकतम रू० 05 लाख निर्धारित कर दी गयी है, इस संबंध में राज्य सरकार द्वारा जारी किये गये दिशा निर्देश की जानकारी चाही गयी है, क्योंकि प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)-प्रथम कार्यालय द्वारा अपने जी०पी०एफ० एप्लीकेशन/डेटाबेस में संशोधन किया जाना प्रक्रियाधीन है।

2- आयकर नियमावली, 1962 के उपर्युक्त प्राविधान को ध्यान में रखते हुए सम्यक् विचारोपरान्त मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राज्यपाल महोदया द्वारा यह स्वीकृति प्रदान की गयी है कि सामान्य भविष्य निधि (उत्तर प्रदेश) नियमावली, 1985 के अभिदाताओं के लिए भी तात्कालिक प्रभाव से एक वित्तीय

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।

वर्ष में अवशेषों की जमा सहित कुल अभिदान की सीमा अधिकतम ₹0 05 लाख निर्धारित कर दी जाय।

3- सामान्य भविष्य निधि (उत्तर प्रदेश) नियमावली, 1985 के संगत नियमों में संशोधन किये जाने की कार्यवाही पृथक से की जा रही है।

भवदीय,
प्रशान्त त्रिवेदी
अपर मुख्य सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- (1) महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी प्रथम, उत्तर प्रदेश प्रयागराज।
- (2) उप महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज को उनके पत्र संख्या-फण्ड-1/टी0 एण्ड एन0-टी0/79568, दिनांक 19 दिसम्बर, 2022 के संदर्भ में।
- (3) प्रमुख सचिव, विधान सभा/विधान परिषद, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
- (4) स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
- (5) समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
- (6) समस्त मुख्य कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
- (7) गार्ड फाइल।

आज्ञा से
सरयू प्रसाद मिश्र
विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।



उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड

(उ०प्र० सरकार का उपक्रम)

14 - अशोक मार्ग, शक्ति भवन, लखनऊ
U.P. POWER CORPORATION LIMITED
(Govt. of Uttar Pradesh Undertaking)

संख्या : 1228-पै०एवंआर०-28/पाकालि/23-07-पै०एवंआर०/2023,

दिनांक : 20 जुलाई, 2023

कार्यालय-ज्ञाप

एतद्वारा वित्त (सामान्य) अनुभाग-2, उ०प्र० शासन, के शासनादेश संख्या : 2/2023/जी-2-256(1)/दस-2023, दिनांक 21 मार्च, 2023 जिसके द्वारा सामान्य भविष्य निधि में किसी भी अभिदाता द्वारा एक वित्तीय वर्ष में अवशेषों के जमा सहित अधिकतम रूपये 05 लाख का अभिदान किये जाने के सम्बन्ध में तत्सम्बन्धी प्राविधान/व्यवस्था निर्गत किये गये हैं, को उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि० एवं इसकी सहयोगी वितरण कम्पनियों की सेवाओं में यथावत्/सम्पूर्णाता में अंगीकृत किया जाता है।

निदेशक मण्डल की आज्ञा से

संख्या : 1228-पै०एवंआर०-28/पाकालि/23 तददिनांक :

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. अध्यक्ष, उ०प्र०पा०का०लि०, शक्ति भवन, लखनऊ के निजी सचिव।
2. प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र०पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ के निजी सचिव।
3. प्रबन्ध निदेशक, पूर्वान्चल/मध्यांचल/दक्षिणांचल/पश्चिमांचल, विद्युत वितरण निगम लि०, वाराणसी/लखनऊ/आगरा/मेरठ/केस्को-कानपुर।
4. समस्त निदेशक, उ०प्र०पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
5. मुख्य अभियन्ता (जल विद्युत), उ०प्र०पा०का०लि०, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
6. समस्त मुख्य अभियन्ता (स्तर-1/स्तर-11), उ०प्र०पावर कारपोरेशन लि०।
7. अध्यक्ष, विद्युत सेवा आयोग, एसएलडीसी परिसर, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
8. उप महाप्रबन्धक (लेखा प्रशासन), शक्ति भवन, उ०प्र०पावर कारपोरेशन लि०।
9. समस्त अधीक्षण अभियन्ता, उ०प्र०पावर कारपोरेशन लि०।
10. समस्त अधिशासी अभियन्ता, उ०प्र०पावर कारपोरेशन लि०।
11. कम्पनी सचिव, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ को 16 जून, 2023 को सम्पन्न 192वीं बैठक के मद संख्या-192(43) के सन्दर्भ में सूचनार्थ प्रेषित।
12. अधिशासी अभियन्ता (वेब), उ०प्र०पा०का०लि०, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।

आज्ञा से,

शमशाद अहमद
20/07/23
(शमशाद अहमद)
अपर सचिव (तृतीय)